



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GM 877815



(प्रारूप-अ)

सत्र 2023-24 में नवस्थापित की जाने वाली डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थाओं की सोसाइटी/ट्रस्ट के अध्यक्ष और सहध्यक द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले नोटरी शपथ-पत्र का प्रारूप-

उम्मीदवाही के एवं दिवाकर मिश्र क्रमशः 08233 एवं प्रबंधक राममूर्ति मिश्र स्मारक शिक्षा समिति, ग्राम-
बीलापुर, पौर्ण- अमादरवेशपुर, तहसील- आलापुर, जनपद- अम्बेळकरनगर शपथपूर्वक निम्नलिखित बयान करते हैं—

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा आरएमएम० कालेज ऑफ फार्मेसी ग्राम- बीलापुर, पौर्ण-
महुलिया, तहसील- आलापुर, जनपद- अम्बेळकरनगर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम आरएमएम० कालेज ऑफ फार्मेसी ग्राम- बीलापुर, पौर्ण-
महुलिया, तहसील- आलापुर, जनपद- अम्बेळकरनगर में गाठा संख्या 3ख, 175, 176, 159, 157 व 159 रकमा 0.8100हॉ० भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और
भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाठा संख्या 3ख, 175, 176, 159, 157
व 159 रकमा 0.8100हॉ० पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 02.04.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रस्तावित डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान संचालन हेतु भवनों का निर्माण
अनुमोदित नवरो के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के सम्मुख उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित
विभिन्न वास्तविक संरचनाएँ को ही निरीक्षण समिति के सम्मुख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पा. सम्पर्क संख्या : 022-22222222
एवं निरीक्षित भवनों को ही निरीक्षण समिति के सम्मुख निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
पौर्ण व उपरोक्त संस्थान के नाम
प्रस्तुत किया गया है।
निरीक्षण के बाबत
प्रस्तुत किया गया है।

7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मेसी कारबनिसल आर्के इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अन्तर्गत ही डिप्लोमा इन फार्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।
8. यह कि, इस संस्था में फार्मेसी कारबनिसल आर्के इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मेसी कारबनिसल आर्के इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, न०१९० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई आदि का संचालन न तो पूर्वी में कभी किया गया है, अतः न तो भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक कलास रूप, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मेसी कारबनिसल आर्के इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुमित्रित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक शिक्षिक एवं अशीक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट अथवा भौत प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करेगा। यदि मेरे संस्था में किसी भी समय स्थलीय नियमिति में भानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की नियमिति एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अनियन्त्रित होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा ही उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि ही गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फजी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं तो मेरे विस्तृद्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ए० संधिव
दिनांक भिन्न

२० अक्टूबर २०२३

ए० अव्यक्त
रमांडिकर भिन्न